न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 204 / 2020 अपील / उदयपुर (GCMS 2020/00212)
पंजीयन दिनांक– 03 / 03 / 2020

श्री कन्नीराम पिता स्व. तुलसीराम गुर्जर, निवासी विरधोलिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती डाकु बाई उर्फ दाखुबाई पत्नि तुलसीराम के बजायः–
   1 / 1 श्री कालुराम (माता डाकु बाई) पिता तुलसीराम गुर्जर, निवासी जावदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
   1 / 2 मुसम्मात नारू बाई (मात डाकु बाई) पिता तुलसीराम गुर्जर, निवासी जावदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती भंवरी बाई पुत्री स्व. तुलसीराम पत्नि मथुरालाल गुर्जर, निवासी गेहूं का कुंआ, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती हीरूबाई पुत्री स्व. तुलसीराम पत्नि किशन गुर्जर के बजायः–
   3 / 1 श्री किशन गुर्जर पिता परताजी, निवासी बाजुण्दा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
   3 / 2 श्री वेणीराम गुर्जर पिता किशन गुर्जर, निवासी बाजुण्दा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
   3 / 3 श्री उदयलाल पिता किशन गुर्जर, निवासी बाजुण्दा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
   3 / 4 श्रीमती कमला बाई किशन गुर्जर, निवासी बाजुण्दा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1.	श्री अजयसिंह हाड़ा	– अधिवक्ता अपीलांट
2.	श्री तुलसीराम डांगी	– अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 / 1 व 1 / 2 **(बवक्त बहस अनुपस्थित)**
3.	श्री हुकमसिंह देवडा	– अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 / 1 से 3 / 4
4.	श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक	– अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4

प्रकरण संख्या – 53 / 2021 अपील / उदयपुर (GCMS 2021/71)
पंजीयन दिनांक– 19 / 07 / 2021

1. श्री कन्नीराम पिता तुलसीराम गुर्जर, निवासी विरधोलिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती भंवरी बाई पुत्री तुलसीराम पत्नि मथुरालाल गुर्जर, निवासी गेंहु का कुंआ, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
3. श्री वेणीराम माता हिरूबाई पिता किशनलाल गुर्जर, निवासी वाजुण्दा, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमंद।
4. श्री उदयलाल माता हिरूबाई पिता किशनलाल गुर्जर, निवासी वाजुण्दा, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमंद।
5. श्रीमती कमलाबाई पुत्री हिरूबाई पिता किशनलाल गुर्जर, निवासी वाजुण्दा, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमंद।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री कालुराम (माता डाकुबाई) पिता तुलसीराम गुर्जर, निवासी जावदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती नारूबाई (माता डाकुबाई) पिता तुलसीराम पत्नि मांगीलाल गुर्जर, निवासी जावदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
3. तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री सम्पत सामोता – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री संजय सेन – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 **(बवक्त बहस अनुपस्थित)**
3. श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 107 / 2014 निर्णय दिनांक 03.02.2020 एवं अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार, मावली के प्रकरण संख्या 03 / 2021 निर्णय दिनांक 16.04.2021

निर्णय

निर्णय दिनांक 12/09/2023

- अपीलांट्स द्वारा यह अपीलें (शीर्षक वर्णित) अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 107/2014 निर्णय दिनांक 03.02.2020 के विरूद्ध दिनांक 03.03.2020 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 5 एवं सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के साथ तथा अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, मावली के प्रकरण संख्या 03/2021 निर्णय दिनांक 16.04.2021 के विरूद्ध दिनांक 22.06.2021 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

- इन प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि बकौल अपीलांट्स मौजा विरधोलिया, पटवार हल्का विरधोलिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 847, 1544, 1565 से 1567, 1569, 1570, 1583, 1584, 1587 से 1589 1660 से 1661 कुल किता 14 रकबा 65 बीघा 1 बिस्वा भूमि के संबंध में नामांतरकरण संख्या 101 दिनांक 27.10.1977 खुलकर स्वीकृत हुआ। उक्त नामांतरण के विरूद्ध श्रीमती डाकु बाई के वारिसान श्री कालुराम व मुसम्मात नारू बाई ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर के यहां अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 107/2014 निर्णय दिनांक 03.02.2020 को उक्त अपील स्वीकार करते हुए नामांतरण संख्या 101 दिनांक 27.10.1977 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, मावली को इस आशय के निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया कि विवादग्रस्त उपरोक्त आराजीयात के मूल खातेदार लाल पिता भजा गुर्जर के विधिक वारिसानों को नए सिरे से सुना जाकर साक्ष्य सबुतों के आधार पर लाला पिता भजा गुर्जर के विधिक वारिसानों की जांच करते हुए

विरासत का नामांतरण नए सिरे से पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर के निर्णय दिनांक 03.02.2020 की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली द्वारा प्रकरण संख्या 03/2021 निर्णय दिनांक 16.04.2021 से ग्राम विरधोलिया की जमाबंदी संवत् 2077–80 के खाता संख्या 31 की किता 14 रकबा 10.53 हैक्टेयर को लाला पिता भजा के जायंदा वारिसान मुताबिक सजरा के कनीराम पिता तुलसीराम, भंवरीबाई पिता तुलसीराम, वेणीराम, उदयलाल माता हीरूबाई, कमला बाई माता हीरूबाई 1/2 गुर्जर सा. देह कालुराम (माता डाकु बाई) पिता तुलसीराम, नारूबाई (माता डाकु बाई) पिता तुलसीराम 1/2 गुर्जर सा. जावदा के नाम विरासत से दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। विशेष श्री कनीराम पिता तुलसीराम का रहन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, सांगवा का उसके हिस्से पर यथावत रहेगा। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली द्वारा निर्णय पारित किया गया। उपरोक्त दोनो निर्णयों से असंतुष्ठ होकर अपीलांट्स द्वारा इस न्यायालय में अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत की जाकर प्ररकण संख्या 204/2020 पंजीयन दिनांक 03.03.2020 (अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर के विरूद्ध) एवं प्रकरण संख्या 23/2021 पंजीयन दिनांक 19.07.2021 (अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली के विरूद्ध) दर्ज की गई। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 03.02.2020 से निम्नानुसार निर्णय पारित किय हैः– ***"अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली के नामांतरकरण संख्या 101 दिनांक 27.10.1977 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, मावली को इस आशय के निर्देश के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया है कि मौजा विरधोलिया के आराजी नम्बर 847, 1544, 1565 से 1567, 1569, 1570, 1583, 1584, 1587 से 1589, 1660 से 1661 कुल किता 14 रकबा 65 बीघा 1 बिस्वा की भूमि के मूल खातेदार लाला पिता भज्जा गुर्जर के विधिक वारिसानों को नये सिरे से सुना जाकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर लाला पिता भज्जा गुर्जर के विधिक***

वारिसानों की नये सिरे से जांच करते हुए विरासत का नामांतरकरण नये सिरे से पारित करें।"

- इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली द्वारा निर्णय दिनांक 16.04.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किय हैः— *"ग्राम विरधोलिया की जमाबंदी संवत् 2077–80 के खाता संख्या 31 की किात 14 रकबा 10.53 हैक्टेयर को लाला पिता भजा के जायंदा वारिसान मुताबिक सजरा के कनीराम पिता तुलसीराम, भंवरीबाई पिता तुलसीराम, वेणीराम, उदयलाल माता हीरूबाई, कमला बाई माता हीरूबाई 1/2 गुर्जर सा. देह कालुराम (माता डाकु बाई) पिता तुलसीराम, नारूबाई (माता डाकु बाई) पिता तुलसीराम 1/2 गुर्जर सा. जावदा के नाम विरासत से दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। विशेष श्री कनीराम पिता तुलसीराम का रहन आई. सी.आई.सी.आई. बैंक, सांगवा का उसके हिस्से पर यथावत रहेगा।*

- उक्त निर्णयों से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपीलें पेश की गई है।

- यह अपीलें दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। प्रकरण संख्या 204/2020 में अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अजयसिंह हाड़ा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1/1 व 1/2 की ओर से अधिवक्ता श्री तुलसीराम डांगी बवक्त बहस अनुपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 3/1 से 3/4 की ओर से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह देवडा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रकरण संख्या 53/2021 में अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पत सामोता उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन बवक्त बहस अनुपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक उपस्थित,

उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दोनो प्रकरणों में दिनांक 04.09.2023 को सुनी

- अधिवक्ता अपीलांट्स श्री अजयसिंह हाडा द्वारा अपनी लिखित बहस एवं श्री सम्पत सामोता द्वारा मोखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को बिना सुने पारित आदेश नेसर्गिंक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार, मावली ने ग्राम पंचायत विरधोलिया द्वारा प्रमाणित सजरा दिनांक 21.10.2009 के आधार पर उक्त आदेश पारित किया है। ग्राम पंचायत विरधोलिया द्वारा प्रमाणित सजरा दिनांक 21.10.2009 का अवलोकन करेगें तो ग्राम पंचायत विरधोलिया द्वारा दिनांक 21.10.2009 को प्रताणित सजरे की दो प्रतियां अलग–अलग तरह से पेश हुई है, जिसमें एक सजरा प्रमाण पत्र की प्रति में डाकुबाई को जीवित बताते हुए तत्कालीन सरपंच रेखा गुर्जर द्वारा दिनांक 21.10.2009 को सजरा प्रमाणित किया गया हैं तथा एक सजरा प्रमाण पत्र पर डाकुबाई को दिनांक 21.10.2009 को मृत बताया है। (जबकि डाकुबाई की मृत्यु दिनांक 05.12.2015 को हुई है।) तथा उक्त सजरा प्रमाण पत्र भी तत्कालिन सरपंच रेखा गुर्जर के हस्ताक्षर व ग्राम पंचायत विरधोलिया की सील लगी हुई है तथा उक्त सजरा प्रमाण पत्र पर वर्तमान सरपंच रूपलाल गमेती के हस्ताक्षर व सरपंच ग्राम पंचायत विरधोलिया की सील लगी हुई है। इस तरह अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली ने अपने निर्णय में लाल पिता भजा गुर्जर के वारिसान के कौन से सजरा प्रमाण पत्र के आधार बनाया है, जिसका भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली ने दिनांक 21.10.2009 को जो सजरा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत विराधोलिया द्वारा तत्कालीन सरपंच रेखा गुर्जर द्वारा जारी किया गया है, उसमें वर्तमान सरपंच रूपलाल गमेती के हस्ताक्षर व ग्राम पंचायत विरधोलिया की सील फर्जी लगी हुई है, जिसकी जानकारी वर्तमान सरपंच रूपलाल गमेती को होते ही दिनांक

14.04.2021 को प्रमाण पत्र जारी कर वर्तमान सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर व ग्राम पंचायत की फर्जी सील के संबंध में कानूनी कार्यवाही करने का प्रमाण पत्र जारी किया तथा वर्तमान सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी सील की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता ने दिनांक 30.04.2021 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली एंव भू–अभिलेख निरीक्षक, भीमल व पटवारी हल्का विरधोलिया को जरिये पंजीकृत सूचना पत्र के दी तथा अपीलांट की ओर से दिनांक 30.04.2021 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.04.2021 को रिव्यु करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गोर नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा मयाद के बिन्दु पर भी कोई निर्णय पारित नही किया जाकर अपील का निस्तारण किया गया है जो नियम विरूद्ध हो निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3/1 से 3/4 श्री हुकमसिंह देवडा द्वारा अपील बहस में बताया कि अधिनस्थ न्यायलय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 03.02.2020 से पारित निर्णय नियमानुसार एवं उचित होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

- राजकीय अभिभाषक श्री मुरलीधर पालीवाल द्वारा अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 03.02.2020 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली द्वारा निर्णय 16.04.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपीलों पर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाने बाबत निवेदन किय गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर के निर्णय दिनांक 03.02.2020 के विरूद्ध दिनांक 03.03.2020 को अपील अंदर मयाद पेश हुई है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली के निर्णय दिनांक 16.04.2021 के विरूद्ध दिनांक 22.06.2021 को

अपील पेश हुई है, जिसके देरी का कारण कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण राज्य में लॉकडाउन होना बताया गया है। अतः अपीलांट के प्रार्थना पत्र एवं अखण्डित शपत पत्र के आधार पर मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

- प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टांतो ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। उक्त दोनो प्रकरणों में मौजा विरधोलिया, पटवार हल्का विरधोलिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 847, 1544, 1565 से 1567, 1569, 1570, 1583, 1584, 1587 से 1589 1660 से 1661 कुल किता 14 रकबा 65 बीघा 1 बिस्वा भूमि के संबंध में नामांतरकरण संख्या 101 दिनांक 27.10.1977 खुलकर स्वीकृत हुआ। उक्त नामांतरण के विरूद्ध श्रीमती डाकु बाई के वारिसान श्री कालुराम व मुसम्मात नारू बाई ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर के यहां अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 107/2014 निर्णय दिनांक 03.02.2020 को उक्त अपील स्वीकार करते हुए नामांतरण संख्या 101 दिनांक 27.10.1977 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, मावली को इस आशय के निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया कि विवादग्रस्त उपरोक्त आराजीयात के मूल खातेदार लाला पिता भजा गुर्जर के विधिक वारिसानों को नए सिरे से सुना जाकर साक्ष्य सबुतों के आधार पर लाला पिता भजा गुर्जर के विधिक वारिसानों की जांच करते हुए विरासत का नामांतरण नए सिरे से पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर के निर्णय दिनांक 03.02.2020 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली द्वारा प्रकरण संख्या 03/2021 निर्णय दिनांक 16.04.2021 से ग्राम विरधोलिया की जमाबंदी संवत् 2077–80 के खाता संख्या 31 की किात 14 रकबा 10.53 हैक्टेयर को लाला पिता भजा के जायंदा

वारिसान मुताबिक सजरा के कनीराम पिता तुलसीराम, भंवरीबाई पिता तुलसीराम, वेणीराम, उदयलाल माता हीरूबाई, कमला बाई माता हीरूबाई 1/2 गुर्जर सा. देह कालुराम (माता डाकु बाई) पिता तुलसीराम, नारूबाई (माता डाकु बाई) पिता तुलसीराम 1/2 गुर्जर सा. जावदा के नाम विरासत से दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। विशेष श्री कनीराम पिता तुलसीराम का रहन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, सांगवा का उसके हिस्से पर यथावत रहेगा। उक्त दोनो निर्णयों से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपीलें पेश की गई।

- प्रकरण में अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वर्तमान सरपंच, ग्राम पंचायत, विरधोलिया द्वारा दिनांक 14.04.2021 से जारी प्रमाण पत्र से यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 21.10.2009 को मैं सरपंच नही था। ग्राम पंचायत विरधोलिया द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 21.10.2009 पर मैने कोई सजरा प्रमाण पत्र जारी नही किया है। सजरा प्रमाण पत्र पर जो मेरे हस्ताक्षर व ग्राम पंचायत की छाप है, वह फर्जी है। मैने दिनांक 21.10.2009 के सजरा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नही किये है न ही पंचायत की सील लगाई है। अतः दिनांक 21.10.2009 पर फर्जी किये गये हस्ताक्षर व छाप (सील) की कानूनी कार्यवाही की जावें। अतएवं उक्तानुसार यह स्पष्ट है वर्तमान सरपंच द्वारा दिनांक 14.04.2021 से जारी सजरा प्रमाण पत्र एवं तत्कालीन सरपंच रेखा गुर्जर द्वारा दिनांक 21.10.2009 को जारी सजरा प्रमाण पत्र में भिन्नता है। अतः यह प्रतीत होता है कि उक्त दोनो सरपंच तत्कालीन एवं वर्तमान सरपंच द्वारा द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र विरोधाभासी है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह कही नही बताया गया है कि कौनसे सजरे अनुसार उक्त निर्णय पारित किया गया है।

- अभिलेख के अवलोकन से यह भी सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली द्वारा दौराने नामांतरकरण की कार्यवाही में अपीलांट्स को नही सुना जाना भी प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.04.2021 के वक्त कोविड–19 वैश्विक महामारी का प्रकोप होने से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2022 को एक आदेश जारी किया गया था कि दिनांक 15.03.2020 से 28.02.2022 तक किसी भी न्यायालय में बिना पक्षकारों/अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जावें। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुने बिना जो आदेश पारित किया गया है वह उचित प्रतीत नही होता है।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वरा अपने प्रकरण संख्या 107/2014 निर्णय दिनांक 03.02.2020 से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली को प्रतिप्रेषित कर मूल खातेदार लाला पिता भज्जा के के विधक वारिसानों की जांच उपरांत निर्णय पारित करने बाबत निर्देशित किया गया। उक्त पारित निर्णय विधिवत होकर उचित है, जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि परिलक्षित नही होने से अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर के निर्णय दिनांक 03.02.2020 को यथावत रखा जाता है।

- पत्रावलियों का रेकर्ड अवलोकन किया गया तो यह न्यायालय पाता है कि प्रकरण में मौजा विरधोलिया की वर्णित विवादग्रस्त अराजीयात के नामांतरकरण संबंधी कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली को की जानी है तथा प्रकरण में पारिवारिक सजरा विवाद के दृष्टिगत प्रकरण के नातिक निस्तारण के लिए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा का निर्णय दिनांक 16.04.2021 निरस्त करते हुए मूल खातेदार श्री लाला पिता भज्जा गुर्जर के पारिवारिक सजरे की जांच करते हुए विधिक वारिसानों की बाद जांच नियमानुसार नामांतरण की कार्यवाही किये जाने के लिए प्रकरण तहसीलदार, मावली को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत होगा।

- अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली का निर्णय दिनांक 16.04.2021 अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, मावली को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौजा विरधोलिया के विवादग्रस्त उपरोक्त आराजीयात 847, 1544, 1565 से 1567, 1569, 1570, 1583, 1584, 1587 से 1589, 1660 से 1661 कुल किता 14 रकबा 65 बीघा 1 बिस्वा की भूमि के मूल खातेदार लाला पिता भज्जा गुर्जर के विधिक वारिसानों को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जावें तथा साक्ष्य सबूतों एवं प्रकरण में वर्णित सजरों की विधिवत जांच के उपरांत विधिक वारिसानों का विरासत से नवीन नामांतरकरण पारित करें।

- निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल हो तथा अधीनस्थ न्यायालय को इस न्यायालय के निर्णय की प्रेषित की जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर